शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-1905/9-9-2011-1 तृराविआ/2011

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0,लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांकः 29 अगस्त, 2011

विषयः शहरी दलित बस्तियों के सुधार हेतु तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार सम्बन्धित नागर निकायों को धन आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर दलित बस्तियों के सुधार के संबंध में 15 प्रतिशत से अधिक स्लम आबादी वाले निकायों को अतिरिक्त5 धनराशि दिये जाने की तृतीय राज्य वित्त आयोग(पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) की संस्तुति संख्या-527 में निम्नवत् संस्तुति की गयी हैः

> "नगरीय निकायों के पक्ष में संक्रमित की जाने वाली कुल राशि का 5 प्रतिशत भाग उन नगरीय निकायों के डिस्पोजल पर रखा जाएगा जिनकी स्लम संख्या वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 15 प्रतिशत से अधिक थी। उक्त धनराशि को ऐसी सभी नगरीय निकायों के मध्य जनसंख्या के आधार पर मलिन बस्तियों में सुधार लाने हेतु वितरित किया जाएगा।"

2. उक्त संस्तुति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नगर विकास विभाग परीक्षण कर अलग से मा0 मंत्रि-परिषद् से निर्णय कराये।

3. तृतीय राज्य वित्त आयोग की उक्त संस्तुति, उस पर लिये पूर्व निर्णय और संस्तुति से संबंधित प्रतिवेदन के प्रस्तर-32.7.1 पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि **संस्तुति के अनुसार 15 प्रतिशत से अधिक स्लम जनसंख्या की सभी नगरीय निकायों के मध्य जनसंख्या के आधार पर दलित बस्तियों में सुधार लाने हेतु वर्ष 2010-11 से तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत कुल धनराशि की 01 प्रतिशत धनराशि पात्र निकायों को आवंटित की जाए।**

4. अतः उक्त निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वि आयोग की संस्तुति के अनुसार यथासमय निर्गत धनराशि पात्र निकायों के मध्य निर्धारित मानक और व्यवस्था के आधार पर आवंटित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में लिये गये निर्णयानुसार वर्ष 2010-11 से मलिन बस्तियों के सुधार हेतु नागर निकायों को अनुमन्य धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने के आदेश प्राथमिकता के आधार पर निर्गत करने का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0.
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0.
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0.
5. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2.
6. राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।